बजट प्राथमिकता

अनुपूरक अनुदान 2018-2019

संख्या : 15/2018/बी-2-922/दस-2018-244/2018

प्रेषक,

संजीव मित्तल,
अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं
वित्त आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव /
प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 **लखनऊ : दिनाँक : 02 अगस्त, 2018**

विषय : वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिये अनुपूरक बजट प्रस्ताव ।

महोदय,

वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिये 'अनुपूरक अनुदान की माँगें' विधान मण्डल के आगामी सत्र में प्रस्तुत किये जाने हेतु अनुपूरक बजट में निम्नाँकित प्रस्तावों को सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है -

(i) वित्तीय वर्ष 2018-2019 में भुगतान किये जाने वाले वचनबद्ध व्यय, जो विभागीय अनुदान में बचतें न होने के कारण पुनर्विनियोग के द्वारा स्वीकृत नहीं की जा सकती ।

(ii) राज्य सरकार की प्राथमिकताओं एवं प्रतिबद्धताओं से सम्बन्धित व्यय के ऐसे प्रस्ताव, जिसे इसी वित्तीय वर्ष में व्यय किया जाना अपरिहार्य है ।

(iii) केन्द्र पोषित योजनाओं से सम्बन्धित ऐसे प्रस्ताव जिनमें केन्द्र सरकार से धनराशि प्राप्त हो चुकी हैं अथवा प्राप्त होने की सम्भावना है, परन्तु उसके लिये प्रावधान नहीं है और अनुदान में बचतें न होने के कारण पुनर्विनियोग से नहीं दिया जा सकता ।

(iv) केन्द्र पोषित योजनाओं से सम्बन्धित जिन मामलों में बजट प्रावधान न होने की स्थिति में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-59(14) के अन्तर्गत पुनर्विनियोग द्वारा वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी की गयी हैं, उन योजनाओं के लिए प्रतीक प्रावधान के प्रस्ताव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(v) उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि से लिये गये अग्रिमों की प्रतिपूर्ति के प्रस्ताव, जिसका राज्य आकस्मिकता निधि से वास्तविक रूप से आहरण कर लिया गया है ।

2- यदि अनुपूरक बजट में प्रस्तावित योजनाओं / परियोजनाओं के लिए अन्तर्ग्रस्त व्यय को (जिसमें उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम के प्रतिपूर्ति के प्रस्ताव भी सम्मिलित हैं) सम्बन्धित अनुदान में होने वाली बचतों से ही पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से पूरा किया जा सकता हो तो ऐसी स्थिति में प्रतीक प्रावधान अथवा आवश्यक धनराशि (required amount) के प्रावधान किये जाने का ही प्रस्ताव भेजा जाय ।

3- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रशासकीय विभागों द्वारा प्रस्तर-1 और 2 के अनुसार अनुपूरक बजट के लिये प्रस्ताव, यदि कोई हों, वित्त विभाग के वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभागों को विलम्बतम् <u>दिनाँक 07 अगस्त, 2018 तक</u> प्रेषित करने का कष्ट करें ।

भवदीय,

संजीव मित्तल
अपर मुख्य सचिव, वित्त
एवं वित्त आयुक्त ।

<u>संख्या : 15/2018/बी-2-922(1)/दस-2018-244/2018, तद्दिनाँक</u>

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. **मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश ।**
2. **प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश ।**
3. **प्रमुख सचिव, माननीय मुख्य मंत्री जी, उत्तर प्रदेश ।**
4. **प्रमुख सचिव, विधान परिषद / विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश ।**
5. **प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।**
6. **प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।**
7. **वित्त विभाग के समस्त अधिकारी / अनुभाग ।**

आज्ञा से,

राजीव श्रीवास्तव
विशेष सचिव, वित्त ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in